फ़ैसले

माइल ख़ैराबादी

अनुवादक
कौसर लईक़

विषय-सूची

लाजवाब फ़ैसला

सफ़्फ़ाह[1] ने ख़लीफ़ा होने के समय पहला ख़ुतबा 'अब्बासिया' के मक़ाम पर दिया। ख़ुतबा देते वक़्त उन्होंने 'कलिम-ए-शहादत' पढ़ा—

अशहदु अल-ला इला-ह इल्लल्लाहु व अशहदुअन-न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहू।

(मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और मैं गवाही देता हूँ कि मुहम्मद (सल्ल०) उसके बन्दे और रसूल हैं।)

ख़ुतबा सुनकर एक व्यक्ति मज्लिस से उठ खड़ा हुआ। वह अबू तालिब की संतानों में से था। उसने कहा—"मैं तुझे उसका वास्ता देकर कहता हूँ, जिसका तूने अभी ख़ुतबे में नाम लिया, तू मेरा इनसाफ़ कर दे।"

सफ़्फ़ाह ने पूछा, "तुझपर किसी ने ज़ुल्म किया है?"

बोला—"अबू बक्र (रज़ि०) ने।"

सफ़्फ़ाह ने पूछा—"क्या ज़ुल्म किया?"

उसने जवाब दिया, "अबू बक्र (रज़ि०) ने हज़रत फ़ातिमा (रज़ि०) को फ़दक का बग़ीचा[2] नहीं दिया।"

यह दावा सुनकर सफ़्फ़ाह ने कहा, "अबू बक्र (रज़ि०) के बाद कोई और

---

1. सफ़्फ़ाह का नाम अबू अब्बास अब्दुल्ला बिन मुहम्मद अली बिन अब्बास था। उसने अबू उमय्या की ख़िलाफ़ को ख़त्म करके बनू अब्बास की ख़िलाफ़त क़ायम की और अब्बासिया की खिलाफ़त का पहली ख़लीफ़ा हुआ।
2. नबी (सल्ल०) के पास एक बग़ीचा था, जो फ़दक में था। आपने अपने ख़र्च के लिए इस बग़ीचे को ख़ास कर लिया था। आपके इंतिक़ाल के बाद हज़रत अबू बक्र (रज़ि०) ने इस बग़ीचे को बैतुलमाल में ले लिया, क्योंकि नबियों की सम्पत्ति का कोई वारिस नहीं हुआ करता था। इस सिलसिले में शीयाओं को हमेशा अबू बक्र (रज़ि०) से शिकायत रही। लेकिन जब हज़रत अली (रज़ि०) ख़लीफ़ा हुए तो ख़ुद अबू बक्र (रज़ि०) के फ़ैसले को क़ायम रखा। इससे ज़ाहिर है कि वही फ़ैसला सही था।

भी ख़लीफ़ा हुआ?"

उसने कहा, "हाँ!"

पूछा, "कौन?"

उसने जवाब दिया, "उमर (रज़ि०)।"

सफ़्फ़ाह ने कहा, "उमर (रज़ि०) इस ज़ुल्म पर क़ायम रहे और तुम्हारे साथ इनसाफ़ नहीं किया?"

बोला, "जी हाँ!"

सफ़्फ़ाह ने फिर पूछा, "उमर (रज़ि०) के बाद कोई और हुआ?"

बोला, "जी हाँ!"

पूछा, "कौन?"

उसने जवाब दिया, "उसमान (रज़ि०)।"

सफ़्फ़ाह ने पूछा, "उसमान (रज़ि०) भी इस ज़ुल्म पर क़ायम रहे और तुम्हारे साथ इनसाफ़ नहीं किया?"

बोला, "जी हाँ।"

सफ़्फ़ाह ने फिर पूछा, "उसमान (रज़ि०) के बाद कोई और हुआ?"

उसने कहा, "हाँ।"

पूछा, "कौन?"

"अली (रज़ि०)।" उसने उत्तर दिया।

"अली (रज़ि०) भी इस ज़ुल्म पर क़ायम रहे और उन्होंने भी तुम्हारे साथ इनसाफ़ नहीं किया?" सफ़्फ़ाह ने पूछा।

अब वह व्यक्ति चुप हो गया और लगा बग़लें झाँकने। सफ़्फ़ाह ने उसे डाँटा और कहा—

> "ख़ुदा की क़सम! ख़लीफ़ा होने के बाद यह मेरा पहला मौक़ा न होता तो तेरा सिर तेरे जिस्म से अलग करा देता। बैठ और ख़ुतबा सुन।" □ □

इस पुल पर या उस पुल पर ?

मलिक शाह सलजूक़ी ईरान का एक प्रसिद्ध शासक गुज़रा है। उसका इनसाफ़ मशहूर है। उसके इनसाफ़ के कारण उसके राज्य में शेर और बकरी एक घाट पर पानी पीते थे। कोई ताक़तवर किसी कमज़ोर को नहीं दबा सकता था।

एक बार मलिक शाह शिकार करने गया। मलिक शाह के साथ बहुत-से सिपाही और शिकारी भी गए थे। जंगल के पास एक गाँव था। गाँव में एक बुढ़िया रहती थी। बुढ़िया की झोपड़ी के पास उसकी गाय बंधी थी। सिपाहियों का वहाँ से गुज़र हुआ। उन्होंने बुढ़िया की गाय खोल दी और ले जाकर उसका गोश्त खा गए।

बुढ़िया ने जब यह सब देखा, वह कुछ सोचकर चली। रास्ते में एक नदी का पुल पड़ता था। बुढ़िया पुल पर जा बैठी। जिस समय बादशाह शिकार खेलकर लौटा और उस पुल पर पहुँचा तो बुढ़िया आगे बढ़ी और उसने लपककर बादशाह के घोड़े की लगाम पकड़ ली, फिर निडर होकर बोली—

"ऐ बादशाह ! मेरा फ़ैसला इस पुल पर होगा या उस पुल पर।" बुढ़िया ने अंगुली से आसमान की ओर इशारा करके कहा, जिसका अर्थ यह था कि अगर बादशाह उसका फ़ैसला इस पुल पर नहीं करेगा तो एक दिन ऐसा आनेवाला है अर्थात् आख़िरत का दिन, जब सबको अल्लाह के सामने जाना है और उस दिन अल्लाह हर छोटे-बड़े के कामों की जाँच-पड़ताल करेगा। बंदों के साथ पूरा-पूरा इनसाफ़ करेगा और किसी पर ज़रा भी अत्याचार न होगा। अल्लाह की अदालत तक जाने के लिए 'पुलसिरात' से गुज़रना होगा और वह पुल ही ज़ालिम के लिए जहन्नम से कम न होगा।

बादशाह 'पुलसिरात' का ख़याल आते ही काँप उठा। उसने कहा, "भाई ! तुम्हारा इनसाफ़ इसी पुल पर होगा। तुमको किसी ने सताया है क्या ?"

बुढ़िया ने सिपाहियों के अत्याचार की बात बादशाह को सुनाई और कहा, "वही एक गाय मेरी रोज़ी का ज़रिया थी। अगर मुझे पूरा-पूरा बादला न दिया गया तो मैं क्या खाऊँगी?"

बुढ़िया की बात सुनकर मलिक शाह ने मामले की पूरी खोज-बीन की तो पाया कि बुढ़िया सच्ची है। बादशाह ने सिपाहियों को दण्ड दिया और बुढ़िया को एक गाय के बदले सत्तर गायें दीं और जब तक बुढ़िया राज़ी न हुई, मलिक शाह आगे न बढ़ा। □ □

महमूद ग़ज़नवी का भांजा

सुलतान महमूद ग़ज़नवी ग़ज़नी का प्रसिद्ध शासक गुज़रा है, जिसके नाम से बड़े-बड़े बादशाह और राजा-महाराजा भी काँप जाते थे। उसने सत्रह बार भारत से टक्कर ली और हर बार विजयी रहा। लेकिन वही बादशाह था कि जब वह अदालत की कुर्सी पर बैठता तो एक बुढ़िया उसे डाँट दिया करती थी और सुलतान महमूद ग़ज़नवी उसके सामने भीगी बिल्ली बन जाया करता। असल में जहाँ वह एक तरफ़ अत्यन्त बहादुर और ताक़तवर सिपाही था, वहीं अत्यन्त भला और न्याय-प्रेमी भी था। इसी लिए ग़रीब से ग़रीब आदमी बड़ी निर्भयता के साथ उससे बात कर सकता था।

वह घटना तो बड़ी प्रसिद्ध है जिसमें बताया गया है कि एक बुढ़िया का लड़का किसी डकैती में मारा गया था। बुढ़िया ने सुलतान महमूद के दरबार में आकर बुरी तरह उसे डाँटा और जब सुलतान ने यह कहा कि इतने दूर-दराज़ के स्थानों का प्रबंध मैं कैसे कर सकता हूँ, तो बुढ़िया ने फिर डाँटा कि जब इतनी दूर का प्रबंध नहीं कर सकता तो उस स्थान को फ़तह क्यों किया? उसके जवाब पर लाजवाब होकर सुलतान महमूद ग़ज़नवी ने रास्तों और गुज़रगाहों की शांति और सुरक्षा एवं सुव्यवस्था की ओर ध्यान दिया और बुढ़िया को इतना पुरस्कार दिया कि वह मालामाल हो गई।

यह घटना पाठ्यक्रम की पुस्तकों में आ चुकी है और बहुत प्रसिद्ध है। सुलतान महमूद के इनसाफ़ की ऐसी बहुत-सी घटनाएँ हैं। हम उनमें से एक ऐसी घटना सुनाते हैं, जिससे सुल्तान महमूद कई दिनों तक प्रभावित रहा। घटना इस तरह है—

एक बार एक व्यक्ति सुलतान महमूद ग़ज़नवी के दरबार में हाज़िर हुआ और फ़रियाद की कि वह बादशाह से एकान्त (तन्हाई) में कुछ कहना चाहता है। बादशाह यह सुनकर तुरन्त एकान्त में जा बैठा और उस आदमी को बुलवाया और हाल पूछा। उसने बयान किया—

"आपका भांजा प्रतिदिन रात होने पर मेरे घर आ जाता है, मुझको घर से बाहर निकाल देता है और रात भर मेरी बीवी के पास रहता है। आपका भांजा होने के कारण मेरे मुहल्ले के लोग डरते हैं और आपके क़ाज़ी (न्यायाधीश) भी। मैं कई बार क़ाज़ियों के यहाँ फ़रियाद लेकर गया, लेकिन सबने आपके भांजे के डर से मुझे भगा दिया। अब मैं हुज़ूर के पास आया हूँ और आपसे फ़रियाद करता हूँ। अगर आप भी मेरी पुकार न सुनेंगे तो फिर मैं क़ियामत के दिन ख़ुदा से फ़रियाद करूँगा।"

यह बयान सुनकर सुलतान महमूद ग़ज़नवी सन्नाटे में आ गया। थोड़ी देर कुछ सोचता रहा फिर बोला, "अच्छा, जाओ ! अब जब मेरा भांजा तुम्हारे घर आए तो फ़ौरन मुझे ख़बर करना।"

उस आदमी ने कहा, "हुज़ूर ! रात के वक़्त मुझको आप तक पहुँचने ही कौन देगा ?" आदमी की बात भी उचित थी। बादशाह ने महल के दरबारियों, नौकर और सिपाहियों को बुलाया और कहा कि इसे पहचान लो, यह जिस वक़्त आए तुरन्त मेरे पास पहुँचाया जाए। कोई रोक-टोक और देर न की जाए।

आदमी चला गया। तीसरे दिन, रात में वह बादशाह के महल की ओर चला। आधी रात का समय था। जैसे ही वह महल के दरवाज़े पर पहुँचा, सिपाहियों ने उसे बादशाह तक पहुँचा दिया। बादशाह उसे देखकर तुरन्त खड़ा हुआ। उस आदमी के साथ हो लिया। उसके घर पहुँचा। अन्दर जाकर देखा तो आदमी के बयान को सच्चा पाया। सुलतान ने तुरन्त चिराग़ बुझ दिया और तलवार निकालकर भांजे पर ऐसा प्रहार किया कि उसका सिर धड़ से अलग हो गया। इसके बाद चिराग़ जलवाया। पास जाकर लाश देखी तो उसकी ज़बान से "अलहम्दुलिल्लाह" (अल्लाह का शुक्र है) निकला। फिर उसने उस व्यक्ति के घरवालों से कहा, "जल्दी पानी पिलाओ। मुझे बड़ी प्यास लगी है।"

पानी पीकर सुलतान जाने ही वाला था कि वह आदमी बादशाह के क़दमों पर गिर पड़ा और बोला, "हुज़ूर मैं बलिहारी जाऊँ, कुछ और अर्ज़

करना है।" सुलतान ठहर गया। आदमी ने कहा, "हुज़ूर यह बात समझ में नहीं आई कि आपने आते ही चिराग़ क्यों बुझा दिया। भांजे का क़त्ल करके 'अलहम्दुलिल्लाह' आपकी ज़बान से क्यों निकला और फिर आप प्यास से क्यों बेताब हो गए?"

सुलतान ने सिर झुका लिया और कहने लगा, "चिराग़ मैंने इसलिए बुझा दिया था कि कहीं भांजे को देखकर मुहब्बत न आ जाए और मैं तेरे साथ पूरा-पूरा इनसाफ़ न कर सकूँ। फिर जब मैं उसे क़त्ल कर चुका तो चिराग़ जलाकर देखा, वह मेरा भांजा न निकला। यह कोई झूठा और फ़रेबी है, जिसने तुम सब पर रौब जमाने के लिए अपने को सुलतान का भांजा मशहूर किया। इसलिए मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि मेरा भांजा इस बुरे काम से बचा रहा। इस काम से फ़ारिग़ होकर पानी मैंने इसलिए माँगा कि मैं तीन दिन से भूखा-प्यासा हूँ। जबसे तुमने मुझसे फ़रियाद की थी, उस वक़्त से मैंने फ़ैसला कर लिया था कि जब तक तुम्हारे साथ पूरा-पूरा इनसाफ़ न करूँगा, खाना-पानी मुँह तक न ले जाऊँगा। अल्लाह का शुक्र है कि मैं कामयाब हो गया; लेकिन जब पानी की याद आई तो मैं बेताब हो गया और पानी माँगा।"

यह कहकर बादशाह चला गया और आदेश दे दिया कि कल दरबार में आना। वहाँ तुम्हें इनाम भी मिलेगा। □ □

जहाँगीर और नूरजहाँ

भारत के मुग़ल शासकों में जहाँगीर अपने इनसाफ़ के लिए बहुत मशहूर है। कहा जाता है कि उसने इनसाफ़ के मामले में अपनी चहेती बेगम नूरजहाँ के साथ भी रिआयत नहीं की। यह बहुत मशहूर घटना है, जो साधारण रूप से इस प्रकार है—

एक बार मलिका नूरजहाँ अपने महल की छत पर टहल रही थी। उस समय पहरा लगा दिया गया था और यह हुक्म दे दिया गया था कि महल के आसपास से कोई मर्द न गुज़रे। संयोग की बात यह कि एक धोबी आ निकला। धोबी की नज़र मलिका पर पड़ी और मलिका ने भी धोबी को देखा। मलिका को बड़ा गुस्सा आया कि एक ग़ैर मर्द ने उसे देख लिया है। उसने उस धोबी को गोली मार दी। धोबी वहीं गिरा और मर गया।

धोबी के वारिसों ने ख़ून का दावा कर दिया। मुक़द्दमा अदालत में गया। तहक़ीक़ात हुई। मलिका नूरजहाँ ने इक़रार कर लिया कि उसी ने मारा है। उसके इस इक़रार कर लेने के बाद बादशाह नें उसे फाँसी की सज़ा सुना दी। मलिका नूरजहाँ को महल से गिरफ़्तार करके हवालात भेज दिया गया और उसके लिए खाने-पीने का वही प्रबंध किया गया जो एक साधारण क़ैदी के लिए किया जाता है।

जहाँगीर के इस फ़ैसले से शहर में हलचल मच गई। लोग नूरजहाँ को बचाने का उपाय सोचने लगे। उन्होंने बादशाह से बहुत सिफ़ारिश की, लेकिन बादशाह फ़ैसला बदलने को तैयार न हुआ। अब कोशिश यह होने लगी कि धोबी का वारिस मुँह माँगी ख़ून की क़ीमत ले ले और ख़ून के बदले ख़ून का मुतालबा न कर।

धोबी के परिवारवाले भी जहाँगीर के इस फ़ैसले से बहुत प्रभावित हुए। ख़ून की क़ीमत के बारे में उनसे कहा गया और समझाया गया तो वे माफ़ कर देने को तैयार हो गए। जब उन्होंने माफ़ीनामा लिखकर बादशाह

की सेवा में पेश किया तब नूरजहाँ की जान बच सकी। नूरजहाँ को जहाँगीर कितना चाहता था, इसका अन्दाज़ा इस वाक्य से लगाया जा सकता है जो माफ़ी के बाद उसने नूरजहाँ से कहा था—

"ऐ मलिका! अगर तुम मौत के घाट उतर जातीं तो मैं कैसे ज़िन्दा रहता!" □ □

एक वादा एक धोखा

मुहम्मद बिन क़ासिम एक प्रसिद्ध सिंधु-विजयी सेनापति गुज़रा है। उसने अपनी जवानी में सिंध को फ़तह किया और फिर वहाँ इनसाफ़ की ऐसी नींव डाली कि जब वह वहाँ से वापस हुआ तो सिंध के रहनेवाले ग़ैर मुस्लिम उसे देवता समझकर पूजने लगे। उसी मुहम्मद बिन क़ासिम के सामने एक विचित्र मुक़द्दमा पेश हुआ। इस मुक़द्दमे की कार्रवाई हम प्रसिद्ध किताब 'आइन-ए-हक़ीक़त नुमा' से नक़ल करके यहाँ लिख रहे हैं।

अल्वर की फ़तह के बाद मुहब्बद बिन क़ासिम के पास कुछ ऐसे लोग पकड़कर लाए गए जो आख़िरी समय तक मुसलमानों से लड़ते थे और हर एतबार से क़त्ल कर दिए जाने के लायक़ थे। मुहम्मद बिन क़ासिम ने उन्हें जल्लाद के हवाले किया। जल्लाद उन्हें लेकर चले तो रास्ते में एक व्यक्ति ने जल्लाद से कहा कि मेरे पास एक ऐसी चीज़ है जो किसी ने कभी न देखी होगी। जल्लाद ने कहा, "दिखाओ?" उस व्यक्ति ने कहा, "मैं तुम्हारे सरदार मुहम्मद बिन क़ासिम को दिखा सकता हूँ।"

जल्लादों ने यह सुना तो मुहम्मद बिन क़ासिम को ख़बर दी। मुहम्मद बिन क़ासिम ने उस व्यक्ति को बुलाया और कहा कि 'तू क्या दिखाता है?'

उसने जवाब दिया कि वह एक अनोखी और निराली चीज़ है, जो किसी ने कभी नहीं देखी होगी। मगर मैं उसको उसी वक़्त दिखाऊँगा जब मुझे और मेरे साथियों को छोड़ दिया जाए। मुहम्मद बिन क़ासिम ने वादा कर लिया। उसने कहा, "लिखकर दो तो दिखाऊँगा।" मुहम्मद बिन क़ासिम ने लिखकर दे दिया।

अब उस व्यक्ति ने अपनी मूँछों को ताव दिया, सिर के बाल बिखेर लिए, दाढ़ी पर हाथ फेरा और पाँव की अंगुलियों को सिर से लगाया फिर नाचने लगा। नाच ख़त्म करके मुहम्मद बिन क़ासिम ने कहा कि मेरा यह विचित्र तमाशा किसी ने कभी नहीं देखा।

मुहम्मद बिन क़ासिम उस व्यक्ति की चालाकी और अपने धोखा खाने पर हैरान रह गया। अपने लोगों से राय-मश्विरा लिया कि क्या करना चाहिए? लोगों ने कहा, "इसने तो धोखा दिया है। यह क्या अजीब तमाशा है, जिसकी वजह से इन्हें छोड़ दिया जाए।" लेकिन मुहम्मद बिन क़ासिम ज़बान दे चुका था।—उसे बड़ी परेशानी हुई। एक तरफ़ अपना वचन और दूसरी तरफ़ उस चालाक आदमी की चालाकी।

मुहम्मद बिन क़ासिम कोई राय क़ायम न कर सका। उन सबको क़ैद कर दिया और इस्लामी हुकूमत के पूर्वीय गवर्नर जनरल हज्जाज बिन यूसुफ़ (जिसके अधीन मुहम्मद बिन क़ासिम था) के पास सारा हाल लिखकर भेजा और पूछा कि क्या करना चाहिए?

हज्जाज बिन यूसुफ़ बहुत ही समझदार और कुशल प्रशासक था। जब मुक़दमे की कार्रवाई उसके सामने पहुँची तो वह भी दंग रह गया। 'एक ओर वादा, दूसरी ओर छल।' वह भी फ़ैसला न कर सका। उसने इस्लामी हुकूमत के ख़लीफ़ा वलीद बिन अब्दुल मलिक के पास पूरी कार्रवाई भेज दी। वलीद बिन अब्दुल मलिक ने उलमा (इस्लामी धर्मशास्त्रों के विद्वानों) से फ़तवा माँगा। उलमा ने फ़तवा दिया कि जब वादा किया जा चुका है, तो फिर उससे नहीं फिरना चाहिए। वादा पूरा करना ज़रूरी है।

सही फ़तवा मुहम्मद बिन क़ासिम के पास आया तो उसने उस चालाक व्यक्ति और उसने साथियों को छोड़ दिया। वे लोग कुल बाईस आदमी थे।

□ □

झूठे गवाह

भारत के बादशाहों में सिकन्दर लोदी एक बड़ा प्रसिद्ध और भला बादशाह गुज़रा है। वह ख़ुदा से बड़ा डरनेवाला, प्रबंधकर्त्ता और न्यायप्रिय बादशाह था। सत्रह बड़े-बड़े विद्वान आधी रात्रि तक उसके पास बैठे रहते थे जिनसे वह इस्लामी अहकाम (अनुदेश) जानने में मदद लिया करता था। वह ख़ुद भी आलिम था और क़ुरआन व हदीस का अध्ययन जारी रखता था। न्याय करने में वह किसी तरह का पक्षपात और रियायत नहीं करता था। उसके पास ग़रीब से ग़रीब आदमी को अपना मुक़द्दमा ले जाने में आसानी थी। बड़े से बड़े और उलझे हुए मुक़द्दमों का फ़ैसला वह बड़ी आसानी से कर देता था। मिसाल के तौर पर हम उसके एक फ़ैसले को यहाँ नक़ल कर रहे हैं, जिससे उसकी बुद्धिमानी का भी पता चलता है और यह भी मालूम होता है कि उसके दौर में ग़रीब से ग़रीब आदमी को भी न्याय प्राप्त करने में कितनी आसानी थी।

सिकन्दर लोदी के दौर में ग्वालियर के दो ग़रीब भाई फ़ौज में भर्ती हुए। कहीं से दो हीरे-मोती उनके हाथ लगे। दोनों ने एक-एक आपस में बाँट लिया। क़ीमती हीरा पाकर छोटे भाई ने कहा, "अब मैं नौकरी नहीं करूँगा। इस हीरे को बेचकर कोई व्यापार करूँगा और बच्चों के साथ रहूँगा।"

यह सुनकर दूसरे भाई ने कहा, "भइया! मेरे हिस्से का हीरा भी लेते जाओ, अपनी भाभी को दे देना। मैं तो अभी नौकरी नहीं छोड़ूँगा।" छोटा भाई दोनों क़ीमती हीरे लेकर घर को चला। रास्ते में उसकी नीयत ख़राब हो गइ। उसने भाई का हीरा भाभी को नहीं दिया। अपने पास ही रख लिया और अपने धन्धे में लग गया।

कुछ दिनों के बाद बड़ा भाई छुट्टी लेकर घर आया। बीवी से कहा, "मैंने भइया के हाथ हीरा भेजा था, तुमने उसका क्या किया?" बीवी क़ीमती

हीरे का नाम सुनकर हक्का-बक्का रह गई। वह बोली, "क़ीमती हीरा कैसा ! मुझे तो उसकी हवा भी नहीं लगी।"

बीवी ने इनकार किया तो वह उस समय चुप रहा। जब शाम को छोटे भाई से कहा तो उसने साफ़ जवाब दिया कि मैंने उसे हीरा दे दिया था। वह अब इनकार कर रही है। वह झूठी है।

अब झगड़ा बढ़ा। बात अदालत तक पहुँची। छोटा भाई बड़ा चालाक था। उसने दो गवाह हाकिम (न्यायधीश) के सामने पेश कर दिए और मुक़द्दमा जीत लिया।

बड़े भाई की बीवी ने मुक़द्दमे का हाल सुना तो वह बहुत परेशान हुई। वह झूठी भी बनी और हीरा भी हाथ से चला गया।—वह राजधानी की ओर भागी। आगरा पहुँची और बादशाह के यहाँ अपील कर दी। बादशाह ने दोनों भाइयों और गवाहों को बुलाया। मुक़द्दमा शुरू हुआ। गवाहों ने यहाँ भी झूठी गवाही दी और छोटे भाई की-सी कह दी। उन दोनों ने झूठ तो बोल दिया, लेकिन सिकंदर लोदी को कुछ शक हो गया। गवाहों से कहा, "तुमने हीरा देखा था?" गवाहों ने जवाब दिया, "जी हाँ ! देखा था।"

यह सुनकर बादशाह ने मोम मँगाया, थोड़ा-थोड़ा दोनों को दिया और कहा, "तुम दोनों अलग-अलग जाकर बैठ जाओ और जैसा हीरा था, वैसा मोम का बना लाओ।"

गवाह अलग-अलग जाकर बैठ गए। लेकिन हैरान थे कि किस शक्ल का बनाएँ? उन्होंने हीरा देखा ही न था। वे तो झूठी गवाही देने आए थे। अब क्या करते। बादशाह का आदेश था। जिस तरह उनकी समझ में आया, मोम का हीरा बनाकर लाए। बादशाह ने देखा कि मोम से बने हुए दोनों हीरों में बड़ा फ़र्क़ है। अब उसने गवाहों को डाँटा तो सारा भेद खुल गया। बादशाह ने हीरा बड़े भाई को दिलवाया और छोटे भाई और दोनों गवाहों को क़ैद करने का आदेश दे दिया। ☐ ☐

बदला

भारत में शेरशाह नाम का एक ऐसा बादशाह गुज़रा है जिसके एहसानों को भारत के निवासी रहती दुनिया तक न भूलेंगे। वह बड़ा बहादुर, निहायत समझदार, इनसाफ़पसंद और बेहतरीन इन्तिज़ाम करनेवाला बादशाह हुआ है। उसने प्रजा की भलाई के लिए बड़े-बड़े काम किए। वह ऐसे क़ानून बना गया कि आज तक यहाँ की हुकूमत उनसे लाभ उठा रही है। इनसाफ़ करने में तो उसका यह हाल था कि उसके बेटे भी उससे काँपा करते थे।

एक बार उसका बेटा 'आक़िल ख़ान' हाथी पर सवार होकर जा रहा था। रास्ते में एक बनिये का घर पड़ा। बनिये के घर की दीवारें नीची थीं। बनिये की बीवी उस समय नहा रही थी। बादशाह के बेटे ने उसे देखा तो उसे शरारत सूझी। उसने पान की गिलौरी औरत पर फेंकी और हँसता हुआ चला गया।

गिलौरी औरत पर गिरी तो उसने ऊपर देखा। हाथी पर बादशाह के बेटे को देखकर वह शर्म से पानी-पानी हो गई। शर्म के मारे उसने चाहा कि छुरी से आत्महत्या कर ले, तभी बनिये ने उसे रोका और कहा, "घबराने की बात नहीं है। मैं बादशाह के पास जाता हूँ। बादशाह बड़ा दयावान और प्रजा-पालक है। न्याय के मामले में वह किसी की रियायत नहीं करता। मैं अभी अपनी बेइज़्ज़ती का बदला शहज़ादे से लेता हूँ।"

बीवी को समझा-बुझाकर बनिये ने बादशाह से फ़रियाद की। शहज़ादे पर मुक़द्दमा चला। अदालत के सामने बनिये ने सारी कहानी दुहराई। शेरशाह ने शहज़ादे की ओर देखा और डाँटकर पूछा—

"कमबख़्त ! तू ख़ुदा के ग़ज़ब (प्रकोप) से नहीं डरता।"

इसके बाद हुक्म दिया कि बनिया हाथी पर सवार हो और शहजादे के महल की ओर से गुज़रे। शहज़ादे की बीवी को उसके सामने किया जाए और बनिया उसपर पान का बीड़ा फेंके।

अब दरबार में हलचल मच गई। बादशाह के सरदारों और मंत्रियों ने बादशाह को बहुत समझाया कि यह सज़ा उचित नहीं है। अगर शहज़ादे को सज़ा ही देनी है तो दूसरी सज़ा दी जाए। लेकिन शेरशाह अपने फ़ैसले पर अड़ गया, उसने किसी की एक न सुनी। जवाब दिया कि मेरी नज़र में राजा और प्रजा सब बराबर है। फ़ैसला अब बदला नहीं जा सकता।

बादशाह का यह फ़ैसला सुनकर बनिये का यह हाल हुआ कि वह हाथ जोड़कर कहने लगा, "माई-बाप! बस मेरा इनसाफ़ हो गया। मैं अपना दावा वापस लेता हूँ।"

बनिये की बात सुनकर बादशाह का गुस्सा ठंडा हुआ। आदेश दिया कि इसे ख़ुश कर दो। फिर अशर्फ़ियों की थैलियाँ उसे दीं। सरदारों और मंत्रियों ने भी अपने पास से पुरस्कार दिए। शहज़ादे ने माफ़ी का हाल सुना तो उसने बनिये के पास ज़ेवरात की थैली भेजी। □ □

शिकार करने चले थे....?

नवाब हाफ़िज़ रहमत ख़ाँ (रह०) भारत के उन भले और मशहूर शासकों में से हैं, जो अपनी बहादुरी और इनसाफ़पसन्दी में अपनी मिसाल आप हैं। नवाब साहब की हमेशा यह इच्छा रही कि उनकी हुकूमत में सारे काम ख़ुदा से डरते हुए और शरीअत के मुताबिक़ हों। जिन लोगों ने नवाब साहब का इतिहास लिखा है, वे सब गवाह हैं कि हाफ़िज़ साहब (रह०) के शासनकाल में शेर और बकरी एक घाट पर पानी पीते थे। सबूत में बहुत-से अदालती फ़ैसले किताबों में पाए जाते हैं। यहाँ हम सिर्फ़ एक ऐतिहासिक फ़ैसला 'हयाते हाफ़िज़ रहमत ख़ाँ (रह०)' से नक़ल करते हैं, जिसे हमने कुछ आसान कर दिया है।

एक दिन हाफ़िज़ (रह०) के बेटे हाफ़िज़ मुहम्मद यार ख़ाँ पीलीभीत के जंगल में शिकार को गए। जंगल के क़रीब पहुँचे तो अपने साथियों और हाथी-घोड़ों को तो गाँव में छोड़ा, केवल मुहम्मद ख़ाँ ख़िलजी को साथ लिया। यह सरदार शिकार में बड़ा माहिर था। अभी जंगल में दाख़िल भी नहीं हुए थे कि कुछ हिरन दिखाई दिए, उनका पीछा किया। क़रीब पहुँचे तो मुहम्मद यार ख़ाँ तो एक जगह निशाने में बैठे और मुहम्मद ख़ाँ ख़िलजी को आदेश दिया कि हिरनों को घेरकर सामने लाओ।

मुहम्मद ख़ाँ ख़िलजी चला तो उसी वक़्त गाँव का एक व्यक्ति उस ओर आ निकला। मुहम्मद ख़ाँ ने उसे हिरनों की ओर जाने से मना किया, लेकिन वह न माना और आगे बढ़ता चला गया। उसके पाँव की आहट पाकर हिरन भड़क गए और देखते ही देखते नज़रों से ओझल हो गए। मुहम्मद ख़ाँ को बड़ा ग़ुस्सा आया। उसने गँवार को गाली दी और कहा, "तुझको क्या हो गया था कि तूने मेरी बात नहीं सुनी और मेरा शिकार निकाल दिया?" गाली के जवाब में गँवार ने भी गाली दी और बोला, "मैं तुम्हारे वास्ते अपना रास्ता क्यों छोड़ देता?" इस जवाब पर मुहम्मद ख़ाँ ने उसके मुँह पर तमाचा मारा। वह तमाचा खाकर भागा और अपने सात

आदमियों को बुला लाया और उनका सहारा पाकर मुहम्मद ख़ाँ के सर पर लाठी दे मारी। मुहम्मद ख़ाँ फ़ौजी सरदार और बड़ा ताक़तवर आदमी था। ज़ख़्म खाकर उससे लिपट गया और दे पटका। उसी समय हाफ़िज़ मुहम्मद यार ख़ाँ भी आ गया। लड़ाई का यह रंग देखा तो छुरी मुहम्मद ख़ाँ के हाथ में थमा दी। मुहम्मद ख़ाँ के हाथ में छुरी देखकर दूसरे देहाती लाठियाँ लेकर पिल पड़े और लड़ने लगे।

ये दोनों बेहतरीन सिपाही थे। सात-आठ आदमियों को क्या समझते, लेकिन लाठियों की चोटों से न बच सके। लड़ ही रहे थे कि हाफ़िज़ मुहम्मद यार ख़ाँ के सवार और पियादे (पैदल चलनेवाले सैनिक) उनको ढूँढ़ते हुए आ गए। गाँववालों ने फ़ौजी आदमियों को देखा तो समझे कि ये दोनों या तो शहज़ादे हैं या फिर बड़े अधिकारी। अब वे सब सिर पर पाँव रखकर भागे। जंगल में घुसकर इधर-उधर छिप गए।

हाफ़िज़ मुहम्मद यार ख़ान ने अपने आदमियों की सहायता से उनको तलाश कराया, लेकिन एक भी हाथ न लगा। मजबूर होकर सातों देहातियों की बैल गाड़ियाँ, जो क़रीब ही थीं और ईंधन से लदी हुई थीं, खींचकर पीलीभीत ले गए। तीसरे-चौथे दिन देहाती मलिक सैयद ख़ाँ गवर्नर पीलीभीत के पास पहुँचे और दरख़्वास्त दे दी कि कोई व्यक्ति हमारी गाड़ियाँ जंगल से हाँककर पीलीभीत ले आया है।

गवर्नर ने पूछा, "तुम पहचानते हो?"

बोले—"जी हाँ!—मगर हम अपराधियों के बारे में नवाब साहब ही के सामने कुछ कहेंगे।" मलिक साहब ने मुक़द्दमा क़ायम करके नवाब साहब की सेवा में भेज दिया। वहाँ उन सबको बुलाया गया, तो फ़रियाद की कि हुज़ूर के साहबज़ादों में कोई हमारी गाड़ियाँ और बैल जंगल से ले आया है। नवाब साहब ने कारण पूछा तो देहाती घबराए और सोचा कि क़ुसूर तो अपना है, वे कुछ न कह सके। नवाब साहब ने इतमीनान दिलाया कि पूरा-पूरा इनसाफ़ किया जाएगा, घबराओ नहीं। मगर देहाती इनसाफ़ का नाम सुनकर और भी बौखला गए, तो जानबख़्शी की दरख़्वास्त के बाद पूरा

हाल सच-सच कह दिया।

नवाब साहब ने आदेश दिया कि बैल गाड़ियाँ सामान सहित और अपराधी को हाज़िर किया जाए।

इस आदेश के अनुसार हाफ़िज़ मुहम्मद यार ख़ाँ अदालत में हाज़िर हुए तो नवाब साहब ने बेटे को डाँटा और कहा, "तुम इन बेगुनाहों का माल क्यों छीन लाए?" बेटे ने अर्ज़ किया, "हुज़ूर! इसका कारण इन सबसे ख़ुद पूछ लिया जाए।" और फिर अपने ज़ख़्म दिखाए, मुहम्मद ख़ाँ ख़िलजी ने भी अपना सिर और कन्धा खोलकर दिखाया। देहातियों की ज़्यादती साबित हो गई। लेकिन नवाब साहब ने फ़ैसला सुनाया—

> "उन बेचारों बेख़बर लोगों का कोई क़ुसूर नहीं, तुम ख़ुद इसके ज़िम्मेदार हो। ख़बरदार फिर कभी ऐसा दुस्साहस न करना। चूँकि ये देहाती बेख़बर थे, इसलिए इनके अपराध की कोई पकड़ नहीं हो सकती। जाओ, उनकी बैल गाड़ियाँ और सामान वापिस करो और उन्हें ख़ुश करके वापस करो।"

हाफ़िज़ मुहम्मद यार ख़ाँ और मुहम्मद ख़ाँ ख़िलजी ने यह फ़ैसला ग़नीमत समझा और बहुत कुछ दे-दिलाकर राज़ीनामा दाख़िल करा दिया। देहाती ख़ुशी-ख़ुशी लौट गए। □ □

क़ुर्तबा का मशहूर अर्ज़ीनवीस

क़ुर्तबा की जनता के लिए यह ख़बर बड़ी हैरतनाक थी कि उन्दुलुस के ख़लीफ़ा अल-हकम के दरबार के सामने बैठकर अर्ज़ियाँ लिखनेवाले मुहम्मद बिन अबी आमिर को क़ुर्तबा का नायब क़ाज़ी (उप न्यायधीश) मुक़र्रर कर दिया गया है। आम जनता के अलावा सल्तनत के सरदार भी हैरान थे; क्योंकि यह नौजवान अर्ज़ी में ख़लीफ़ा अल-हकम को इस तरह संबोधित करता है जैसे अल-हकम उन्दुलुस का व्यक्तिगत शासक नहीं, बल्कि एक ग़ुलाम है। कई बार ऐसा हुआ कि अबू आमिर के हाथों से लिखी हुई दरख़्वास्त पर जब अल-हकम की नज़र पड़ी तो उसको पढ़ते समय उसके बूढ़े चेहरे पर कई रंग आए; आँखें ग़ुस्से से लाल हो गईं और होंठ काँपने लगे और देखनेवालों को पूरा यक़ीन हो गया कि अब इस बदक़िस्मत नौजवान के क़त्ल का आदेश जारी होनेवाला है। मगर एक क्षण की ख़ामोशी के बाद अचानक अल-हकम के चेहरे पर रौनक़ आ जाती और मुस्कुराता हुआ अर्ज़ी का फ़ैसला दरख़्वास्त देनेवाले के हक़ में कर देता। इसी लिए लोग हर वक़्त अबू आमिर के चारों ओर जमा रहते। एक तो वह कम मज़दूरी पर अर्ज़ियाँ लिख देता था और दूसरे उसके हाथ से लिखी हुई अर्ज़ी का फ़ैसला अर्ज़ी देनेवाले के हक़ में हुआ करता था।

उसने उप न्यायधीश (नायब क़ाज़ी) मुक़र्रर होने के बाद एलान करा दिया कि कोई भी व्यक्ति उप न्यायधीश अबू आमिर की अदालत में आकर अपनी दरख़्वास्त पेश कर सकता है और अपनी शिकायत बयान कर सकता है। चाहे वह शिकायत वक़्त के ख़लीफ़ा व सल्तनत के बड़े से बड़े किसी भी कर्मचारी के ख़िलाफ़ या ख़ुद अबू आमिर के ख़िलाफ़ ही क्यों न हो।

और फिर इत्तिफ़ाक़ से आमिर की अदालत में वह मुक़द्दमा जो सबसे पहले पेश हुआ, वक़्त के ख़लीफ़ा अल-हकम के ख़िलाफ़ था और दूसरा मुक़द्दमा उन्दुलुस के व्यापारियों के सरदार ज़करिया बिन इसहाक़ के ख़िलाफ़ था, जो रिश्ते में अबू आमिर के नाना थे।

अबू आमिर का पेशकार हुक्मनामा लेकर ख़लीफ़ा अल-हकम के पास पहुँचा तो उसने पढ़ने के बाद मुस्कुराते हुए दस्तख़त कर दिया और उसी तरह व्यापारियों के सरदार ने हिचकिचाहट के बाद यह ख़याल करते हुए कि अदालत उनके नवासे (नाती) की है, दस्तख़त कर दिया।

मुक़द्दमे की तारीख़ पर उप-न्यायधीश अबू आमिर की अदालत में तिल रखने की जगह न थी। उस वक़्त दो बड़ी हस्तियाँ उसकी अदालत के कटघरों में मुल्ज़िम की हैसियत से खड़ी थीं। मुक़द्दमे की कार्रवाई शुरू हुई। पेशकार मुद्दई का दावा पढ़ने लगा।

अब्दुल्लाह बिन जाबिर के एक व्यक्ति ने, जो ख़लीफ़ा के महल के क़रीब रहता था, ख़लीफ़ा अल-हकम के ख़िलाफ़ आरोप लगाया है कि ख़लीफ़ा ने अपने राज-महल में जो फैलाव किया है, उसमें साइल (सवाल करनेवाले) की निजी ज़मीन को शामिल कर लिया है और यह ज़मीन ख़लीफ़ा के वकील अहमद ने साइल की बीवी से उसकी ग़ैर मौजूदगी में यह बताए बग़ैर ख़रीदी है कि ज़मीन का ख़रीदार कौन है, उसकी हैसियत क्या है और उस ज़मीन को किस ग़रज़ से ख़रीदा जा रहा है और उसकी बीवी की अज्ञानता का फ़ायदा उठाते हुए बहुत ही कम क़ीमत अदा की गई है, जो बिलकुल उचित नहीं है। अगर उसकी बीवी को ख़रीदार की हैसियत से इस बात का ज्ञान होता कि ज़मीन किस मक़सद के लिए ख़रीदी जा रही है, तो वह यह क़ीमत क़बूल न करती जो उसे दी गई है। क़ाग़ज़ात की जाँच-पड़ताल करने के बाद मालूम हुआ कि अब्दुल्लाह बिन जाबिर का दावा दुरुस्त है, किन्तु ख़लीफ़ा के तत्कालीन वकील का देहान्त हो चुका है, इसलिए उसकी ज़िम्मेदारी ख़लीफ़ा पर आती है, क्योंकि वे ही इस ज़मीन के असली ख़रीदार हैं।

जब पेशेकार मुक़द्दमे की कार्रवाई पढ़ चुका तो अबू आमिर ने अदालत में खड़ी हुई एक बुर्क़ापोश औरत से मुख़ातिब होकर कहा—

"क्या आप शपथ लेकर कहती हैं कि जिस वक़्त यह ज़मीन ख़रीदी या बेची जा रही थी तो आप ख़रीदार की हैसियत और ख़रीदने के मक़सद से

बेख़बर थीं ?"

"मैं शपथ लेकर कहती हूँ कि मुझे इस बात का पता नहीं था कि यह ज़मीन वक़्त के ख़लीफ़ा के लिए ख़रीदी जा रही थी।" अब्दुल्लाह बिन जाबिर की बीवी ने जवाब दिया।

फिर अबू आमिर ने ख़लीफ़ा अल-हकम की ओर देखते हुए कहा, "क्या मुल्ज़िम अपने वकील की तरफ़ से, जो मर चुका, शपथ लेकर यह कहने के लिए तैयार है कि जब यह ज़मीन ख़रीदी गई थी तो उसने ज़मीन के मालिक को ज़मीन के इस्तेमाल और ख़रीदार की हैसियत से आगाह किया था ?"

"शपथ तो बाद की बात है, हम तो अदालत को यह भी विश्वास नहीं दिला सकते कि ज़मीन के मालिक को ज़मीन की सही क़ीमत अदा की गई होगी।" ख़लीफ़ा ने अपने दोनों हाथ कटघरे पर रखते हुए जवाब दिया।

"तो फिर अदालत यह फ़ैसला करती है कि या तो आप ज़मीन के मालिक को ज़मीन वापस कर दें या फिर उससे दोबारा ख़रीद लें।"

फिर क़ाज़ी अबू आमिर ने इमाम मालिक (रह०) की एक हदीस का हवाला देते हुए कहा—

> "ख़ुदा के रसूल (सल्ल०) का यह फ़रमान है कि जब कोई व्यापारिक दल बाहर से आए तो तुममें से कोई भी आगे बढ़कर सौदा न करे, जब तक कि वह माल में मंडी न पहुँच जाए और सौदागर को मंडी के भाव और ख़रीदारों की हैसियत का पता न चल जाए, और अगर तुममें से कोई ऐसा करेगा तो वह सौदा ग़लत होगा।"

उन्दुलूस का बादशाह होने के बावजूद अल-हकम ने अपने ख़िलाफ़ इस फ़ैसले के आगे सिर झुका दिया।

दूसरा मुक़द्दमा पहले से भी ज़्यादा दिलचस्प था, जो ख़ुद क़ाज़ी अबू आमिर के नाना, व्यापारियों के सरदार ज़करिया बिन इसहाक़ के ख़िलाफ़ था। जब मुक़द्दमा की कार्रवाई शुरू हुई तो ख़लीफ़ा अल-हकम ने अदालत से दरख़्वास्त की कि अगर वह इज़ाजत दे और अपने वक़ार के ख़िलाफ़ न

समझे तो हम मुक़द्दमें की कार्रवाई सुनने रुक जाएँ।

"अगर मक़सद सिर्फ़ कार्रवाई सुनने का है, तो इजाज़त है। मगर हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं किया जा सकेगा।" क़ाज़ी अबू आमिर ने कहा।

अतः क़ाज़ी अबू आमिर के क़रीब एक कुर्सी बिछा दी गई, जहाँ बैठकर अल-हकम मुक़द्दमे की कार्रवाई सुनने लगे।

पेशकार ने दावा करनेवाले का दावा पढ़ना शुरू किया—

"मुद्दई कुर्तबा का एक आम शहरी और ज़ैतून के तेल का ख़रीदार अम्र बिन बुहैरा है। उसका दावा है कि परसों उसने ज़ैतून की मंडी से तेल का एक कुप्पा ख़रीदा और क़ीमत तीन दिरहम अदा की। हालाँकि दो हफ़्ते पहले उसने यही कुप्पा इसी वज़न का डेढ़ दिरहम में ख़रीदा था, जबकि उस समय ज़ैतून का नया भण्डार अभी तक मंडी में नहीं आया था, जो अब एक हफ़्ते में आ चुका है। चाहिए तो यह था कि नए पैदावार की आमद से क़ीमत में कमी आ जाती, मगर यहाँ मामला उलटा हुआ है। दो हफ़्ते में एक ही चीज़ की क़ीमत में यह फ़र्क़ ग़लत है। उस बाज़ार के लोगों से मालूम हुआ कि ज़ैतून के तेल की क़ीमत सिर्फ़ इस वजह से बढ़ गई कि कुर्तबा में जो भी भण्डार मौजूद था वह व्यापारियों के सरदार ज़करिया बिन इसहाक़ ने ख़रीदकर जमा कर लिया है। मुद्दई का ख़याल है कि अगर व्यापारियों के सरदार ऐसा न करते तो तेल की नई खेप की वजह से कीमतें गिर जातीं। सिर्फ़ व्यापारियों के सरदार द्वारा ज़ैतून के स्टाक करने की वजह से तेल की क़ीमत बढ़ गई है, जिससे न सिर्फ़ मुझे तकलीफ़ का सामना करना पड़ रहा है, बल्कि सभी नागरिक इसी बोझ तले दब गए हैं।"

जब पेशकार ख़ामोश हुआ तो अबू आमिर ने अम्र बिन बुहैरा की तरफ़ देखते हुए कहा, "क्या तुम सबूत में गवाह पेश कर सकते हो?"

"हुज़ूर गवाह हाज़िर हैं। आप इनसे पूछताछ कर सकते हैं।" मुद्दई ने जवाब दिया।

गवाह पेश हुए और उन्होंने अम्र बिन बुहैरा के दावे की पुष्टि कर दी। इसपर अबू आमिर ने मुल्ज़िम के कटघरे में खड़े हुए व्यापारियों के सरदार

ज़करिया बिन इसहाक़ की ओर देखते हुए पूछा—

"क्या यह सच है कि एक हफ़्ते पहले ज़ैतून के एक कुप्पे का दाम डेढ़ दिरहम था। मगर नए तेल के आने के बावजूद डेढ़ दिरहम की बढ़ोत्तरी और कर दी गई, और क्या बाज़ार में ज़ैतून का वर्तमान मूल्य उनका मुक़र्रर किया हुआ है?"

बूढ़े ज़करिया ने आँखों ही आँखों में कुछ कहना चाहा, मगर अबू आमिर ने ध्यान न दिया और ऊँची आवाज़ से कहा—

"व्यापारियों के सरदार! अदालत का वक़्त बेकार खोना हम अमानत में ख़ियानत समझते हैं। हमारे सवाल का जवाब दीजिए।"

"यह सच है कि इस सप्ताह क़ुर्तबा में मौजूदा ज़ैतून के तेल को ख़रीदकर हमने भण्डार कर लिया है और यह भी सच है कि नए तेल के आने से पहले एक कुप्पे तेल का दाम डेढ़ दिरहम था, मगर आज इसी वज़न के तेल के कुप्पे का दाम तीन दिरहम है। बाज़ार का वर्तमान मूल्य हमने ही निर्धारित किया है। लेकिन यह सब हमारा व्यापारिक मामला है। अदालत को हमारे इस व्यक्तिगत मामले में दख़ल देने का कोई अधिकार नहीं है।"

"व्यापारियों के सरदार! आप अदालत की तौहीन कर रहे हैं। यह ग़लत है कि व्यापार आपका व्यक्तिगत मामला है। व्यापार में आप अपनी मरज़ी के मुताबिक़ क़ीमत बढ़ाने-घटाने के लिए आज़ाद नहीं हैं। इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता।" अबू आमिर ने बहुत ही संजीदगी के साथ कहा और फिर वह क़रीब बैठे हुए ख़लीफ़ा अल-हकम से मुख़ातिब होकर कहने लगा—

"क्या अमीरुल मोमिनीन इस बात से इनकार करते हैं कि यह मुल्क इस्लामी क़ानून का पाबन्द है, यहाँ का शासक मुसलमान है, यहाँ का क़ानून ख़ुदा और रसूल (सल्ल०) के आदेश के मुताबिक़ है?"

"हमें फ़ख़्र (गर्व) है कि हम मुसलमान हैं, हमारा देश इस्लामी क़ानून का पाबन्द है।" ख़लीफ़ा ने जवाब दिया।

"तो फिर इस्लामी क़ानूनों और शरीअत के मुताबिक़ ज़िन्दगी की ज़रूरी चीज़ों का भण्डार करना और एकाधिकार बिलकुल हराम है। अल्लाह और रसूल (सल्ल०) का आदेश है कि जो लोग ज़िन्दगी की ज़रूरी चीजों का भण्डार इसलिए करते हैं कि वे इच्छानुसार उनकी क़ीमत मुक़र्रर कर सकें और जिस भाव चाहें जनता के हाथों बेचें, उनसे उनका ख़ुदा और उसका रसूल (सल्ल०) राज़ी नहीं। उनका यह अमल इस तरह है, जैसे वे लोग अपने मुर्दा भाइयों का गोश्त खाते हैं। इसलिए हम ज़िन्दगी की ज़रूरी चीज़ों को जमा करके रखने की इजाज़त नहीं दे सकते। यह शरीअत के ख़िलाफ़ है, बल्कि देश-हित के लिए भी नुक़्सानदेह है, क्योंकि इस तरह एकाधिकारों से जनता को मुसीबतों का सामना करना पड़ता है।

व्यापारियों के सरदार! आपने भी अपने जुर्म को स्वीकार किया है। इसलिए हमारा फ़ैसला है कि जो तेल इस हफ़्ते आपने ख़रीदकर भण्डार किया है, वह बैतुलमाल के हक़ में ज़ब्त किया जाता है और आपपर दस हज़ार दिरहम जुर्माना भी किया जाता है, ताकि दूसरे इससे नसीहत हासिल करें।"

"अमीरुल मोमिनीन! यह नौजवान हमसे ज़्यादती कर रहा है। हालाँकि हमने जब से व्यापार शुरू किया है, ऐसा ही करते चले आए हैं।"

ख़लीफ़ा अल-हकम तो न जाने क्या जवाब देते, अबू आमिर ने तुरन्त पूछा—

"आपने कब से यह कारोबार शुरू कर रखा है?"

"आज से बीस साल पहले।"

"जब से आपने कारोबार शुरू किया है आपने कितनी दौलत कमाई है?" अबू आमिर ने पूछा।

"कोई चालीस लाख दिरहम।"

"और अब आपके पास कितनी दौलत है?"

"इसका हमें अन्दाज़ा नहीं, मगर ख़ुदा ने हमपर बड़ा फ़ज़्ल व करम किया है।"

"यानी आप स्वीकार करते हैं कि आप बीस साल से इसी तरह से जनता की ज़रूरत की चीज़ों का भण्डार करके उनसे नाजायज़ लाभ कमाते रहे हैं।"

व्यापारियों का सरदार ज़करिया एक लम्हे के लिए बौखला गया, वह क़ाज़ी अबू आमिर का मक़सद जान गया था, तुरन्त कहने लगा—

"मगर हमने ज़ैतून के अलावा किसी चीज़ का भण्डार नहीं किया।"

(ख़लीफ़ा अल-हकम के होठों पर हल्की-सी मुस्कुराहट खेलने लगी।)

"अच्छा तो हम व्यापारियों के सरदार की पहली सज़ा बहाल रखते हुए उनपर ज़ैतून की बीस साल अनुचित भण्डार करने के जुर्म में चालीस लाख दिरहम जुर्माना करते हैं और हुक्म देते हैं कि व्यापारियों का सरदार अगर इस ज़ुर्माने को नक़द न अदा कर सके तो उनकी जायदाद को बेचकर रक़म को पूरा किया जाए।"

व्यापारियों के सरदार फटी-फटी आँखों से अपने इस नवासे को देखने लगे, जिसे ख़ुद उन्होंने पढ़ाया था और आज तक वही उनके घर के सरपरस्त चले आ रहे थे।

क़ाज़ी अबू आमिर ख़लीफ़ा की ओर देख रहा था और लोग आश्चर्यचकित होकर उस नौजवान की ओर देख रहे थे। जिसके चेहरे से नूर की किरणें फूट रही थीं। आख़िरकार ख़लीफ़ा ने अपनी ख़ामोशी को तोड़ा और फ़रमाया—

"व्यापारियों के सरदार आप ख़ुशक़िस्मत हैं। वरना आज आपमें और कुर्तबा के चौक में बैठकर भीग माँगनेवालों में कोई फ़र्क़ न होता। हमें गर्व है कि हमने क़ुर्तबा के नायब क़ाज़ी के लिए एक ऐसे नौजवान का चुनाव किया है, जिसने उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ (रज़ि०) की याद ताज़ा कर दी है। हम आज से इसे अपने व्यक्तिगत ख़ज़ाने का अमीन मुक़र्रर करते हैं।"

अबू आमिर ने ख़लीफ़ा अल-हकम के लिबास को बोसा दिया। अदालत की कार्रवाई ख़त्म हुई। लोग नारे लगाते हुए घरों को रवाना हो गए।

और फिर तारीख़ के पन्ने गवाह हैं कि यही अर्ज़ीनवीस अबू आमिर उन्दुलुस के सबसे बड़े क़ाज़ी के पद के अलावा सम्पूर्ण ख़ज़ानों के अमीन, बैतुलमाल के रक्षक, फ़ौज के सेनापति, प्रधानमंत्री और ख़लीफ़ा के बेटे हश्शाम के उस्ताद (अतालीक़) मुक़र्रर किए गए और 'अमीरे हाजिब' (दरबान के सरदार) की उपाधि के साथ अल-हकम के मरने के बाद हश्शाम के उस्ताद की हैसियत से उन्दुलुस के तमाम इख़्तियारात के मालिक बने।

□ □

औरंगज़ेब आलमगीर

आज से लगभग चालीस-पचास साल पहले की बात है। मेरे एक शिकारी दोस्त ने बातचीत के दौरान मुझे एक दिन बताया कि उनके पड़ोस में हिन्दू कुम्हारों का घर है। उनके पुराने टूटे-फूटे मकान में एक कमरा ऐसा है जिसे लीप-पोतकर रखते हैं। अन्दर जाना होता है तो जूता उतारकर नंगे पाँव बड़े अदब से कमरे में जाते हैं। मैंने आश्चर्यचकित होकर पूछा कि वे ऐसा क्यों करते हैं? मेरा दोस्त कहने लगा—"ये लोग बड़ी विचित्र दास्तान सुनाते हैं। कहते हैं कि इस कमरे में भारत का शहंशाह आलमगीर औरंगज़ेब कुछ घण्टों के लिए ठहरा था।" यह बात सुनकर मुझे हँसी आ गई। मैंने अपने दोस्त से कहा कि उन कुम्हारों से दिल्ली के बादशाह का क्या सम्बन्ध था? मेरा दोस्त भी हँसता रहा, और हम उन कुम्हारों का मज़ाक़ उड़ाते रहे।

अपने शिकारी दोस्त के यहाँ मेरा बहुत आना-जाना होता था। एक दिन जब मैं उनके यहाँ गया तो उसने मुझे बड़ी संजीदगी के साथ बताया कि इन कुम्हारों की बात में सच्चाई मालूम होती है। इसके बाद उसने मुझे सारी कहानी कह सुनाई।

एक कुम्हारे ने मेरे दोस्त को बताया कि दिल्ली के बादशाह का नायब, जिसे सूबेदार कहते थे, लाहौर में पंजाब के हाकिम (शासक) की हैसियत से रहता था। उसका एक और नायब था। वह पंजाब प्रान्त का समय-समय पर दौरा किया करता था। जब वह लुधियाना के दौरे पर आया तो उस ज़माने में यह शहर बहुत ही छोटा-सा था। आजकल जो सबसे छोटा बाज़ार है यही उस समय सबसे बड़ा और एकमात्र बाज़ार था। जो सड़क 'चौड़ा बाज़ार' से जमालपुर की ओर जाती है, उसी के आख़िरी किनारे पर हिन्दू कुम्हारों के कुछ घर थे। एक दिन जब मुसलमान हाकिम की सवारी उस ओर से गुज़र रही थी तो औरतें, बच्चे और जवान लड़कियाँ एक मंज़िला मकानों पर आ गईं। किसी कुम्हार की एक ख़ूबसूरत लड़की जुलूस देखनेवाली औरतों में

आगे खड़ी थी। अचानक हाकिम ने उस लड़की को देखा तो उसकी नीयत बिगड़ गई। जुलूस गुज़र गया और शहर से बाहर कुछ दूर जाकर रुक गया और उस हाकिम ने वहाँ पड़ाव डाल दिया। हाकिम ने अपने एक आदमी को मौक़े पर ही लड़की के घर का पता लेने के लिए उतार दिया था। पड़ाव पर लड़की के बाप को बुलाया गया और मुसलमान हाकिम ने उस लड़की का हाथ माँगा। हिन्दू कुम्हार था तो ग़रीब, लेकिन था बड़ा ग़ैरतमंद। उसने इनकार कर दिया। डाँट-डपट हुई। कुम्हार उसपर भी तैयार न हुआ तो हाकिम ने एक तरफ़ा फ़ैसला सुनाते हुए कुम्हार से कहा कि हम आज से ठीक एक माह बाद आएँगे। लड़की को तैयार रखना। इस अवधि में तुम अपनी राय भी दुरुस्त कर लेना और अपना भला और बुरा भी सोच लेना।

यह विचित्र शाही हुक्म सुनकर हिन्दू कुम्हार बहुत उदास हो गया। घर लौट आया। बीवी ने उदासी का कारण पूछा। हाकिम ने तुम्हें क्या कह दिया है, ख़ैरियत तो है? जब कुम्हार ने बीवी को सारी कहानी सुनाई तो बेचारी बीवी ने सिर पीट लिया। दो-चार दिन मियाँ-बीवी ग़म के मारे खोए-खोए से रहे। आख़िर एक दिन कुम्हार की बीवी ने अपने पति से कहा कि सुना है कि दिल्ली का बादशाह नेकदिल और न्यायप्रिय है। वह ग़रीबों की फ़रियाद सुनता है। उसके दरबार में हर मज़लूम व्यक्ति फ़रियाद कर सकता है। वह फ़रियादी को मायूस नहीं लौटाता। तुम उनके पास दिल्ली चले जाओ और उन्हें बताओ कि हम हिन्दू हैं। आपका नायब हाकिम जो मुसलमान है, हमारा धर्म भ्रष्ट करके हमारी मासूम कुँवारी बेटी को अपनी बेगम बनाना चाहता है। यह बड़ा अत्याचार है। हमारी मदद कीजिए और हमें इस ज़ुल्म से बचाइए। पहले तो कुम्हार को दिल्ली जाने की हिम्मत न हुई। लेकिन बीवी के बार-बार कहने पर मान गया। वह पैदल ही चल पड़ा। चलते-चलते दिल्ली पहुँचा। शहंशाह आलमगीर के दबार में हाज़िर हुआ। रो-रोकर अपनी परेशानी सुना डाली। कुम्हार की दर्द भरी कहानी सुनकर आलमगीर की आँखों में ख़ून उतर आया। अत्यन्त शरीफ़ और न्यायप्रिय बादशाह ने मज़लूम को तसल्ली दी और कहा कि तुम्हारी बेटी हमारी बेटी है। जिस दिन उस ज़ालिम कारिन्दे ने तुम्हारे घर आने का वादा

किया है, हम उसके आने से पहले तुम्हारे घर में मौजूद होंगे। तुम्हारी आबरू की सुरक्षा की जाएगी। यह हमारा कर्त्तव्य है।

आलमगीर (रह०) ने कुम्हार के घर का अता-पता और नक़्शा अच्छी तरह दिमाग़ में बिठा लिया और उसे वापस भेज दिया। कुम्हार ख़ुशी-ख़ुशी घर लौट आया। उसने अपनी बीवी को बताया कि तुमने सच कहा था; वास्तव में हमारा बादशाह बड़ा न्यायप्रिय स्वभाव का और ख़ुदा से डरनेवाला है। उसने ठीक समय पर हमारे घर आने का वादा किया है। बीवी ख़ुश हो गई।

दिन गुज़रने लगे। हाकिम के आने में कुछ दिन बाक़ी रह गए तो कुम्हार की बेताबी बढ़ने लगी। वह प्रतिदिन शहर से बाहर दिल्ली से आनेवाली सड़क पर जाकर खड़ा होता और रात बीतने के बाद उदास और मायूस घर लौट आता। अंतिम रात को दोनों मियाँ-बीवी उदास और हर तरह से मायूस हो गए। उनके दिल डूबने लगे। कुम्हार ने बीवी से कहा, "बादशाह शायद मुझ ग़रीब की बात भूल गए। बादशाह, बादशाह होते हैं। सुबह को क्या होगा बीवी !" इस मायूसी और बेकसी में उन ग़रीबों की रात बेचैनी के साथ गुज़री। सुबह हुई तो कुम्हार और उसकी बीवी को अपनी तबाही और बरबादी का भीषण परिणाम नज़र आने लगा।

उधर आलमगीर (रह०) वास्तव में सल्तनत के मामले में इस तरह उलझे कि उन्हें समय पर लुधियाना पहुँचने का वादा ही याद न रहा। कुम्हार की बात ज़ेहन से उतर गई। वादे में अभी दो दिन बाक़ी थे। आलमगीर इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद सोया ही था कि उसने स्वप्न में देखा कि हिन्दू कुम्हार हाथ बाँधे खड़ा है और शिकवा करते हुए कह रहा है कि मुसलमान वादा करके भूल भी जाया करते हैं? आलमगीर हड़बड़ाकर उठा। डायरी देखी और इस लम्बी यात्रा के लिए तैयार हो गया। आदेश दिया और घोड़े तैयार कर दिए गए। शेरशाह सूरी के शासनकाल का राजमार्ग दिल्ली से पेशावर तक आज भी मौजूद है, जिसके ख़ास-ख़ास फ़ासलों पर पक्के मीनार बनाए गए। हर मीनार पर एक नगाड़ा होता था और इसके साथ हुकूमत की ओर से एक सुन्दर घोड़ा और नक़्क़ारची (नौबत और नगाड़ा

बजानेवाला) मौजूद रहता था। ये नगाड़े उन दिनों टेलीफ़ोन का काम करते थे। मीनार आज भी जगह-जगह पर मौजूद है। दिल्ली में आनेवाला दूत या शाही सवार का घोड़ा थक जाता तो उसे मीनार ही के पास ताज़ादम घोड़ा तैयार मिलता था। संदेश ले जानेवाले या शाही सवार दिल्ली से चलते तो नगाड़ों पर नकौड़े पड़ना शुरू हो जाते थे। ज्यों ही एक मीनार के नगाड़े पर चोब (लकड़ी के नकौड़े) पड़ते, दूसरे मीनार या उससे अगले मीनार पर घोड़ा तैयार मिलता था। इस तरह सरकारी कर्मचारी बड़ी तेज़ी से पैग़ाम पहुँचाते थे। आलमगीर ने ख़ुदा का नाम लिया और घोड़े को एड़ लगाया। मंज़िल पर मंज़िल मारता हुआ जब वह मुजाहिद शहंशाह लुधियाना से कुछ मील के फ़ासले पर पहुँचा तो मालूम हुआ कि मंज़िल अब क़रीब है। वह सड़क के किनारे घने पेड़ों के साये में घोड़े से उतर गया फ़िर कुएँ का पानी पिया और कुछ देर आराम किया।

दोपहर ढल रही थी और सारे शहर में नायब सूबेदार की बारात आने की चर्चा फैली हुई थी। कुम्हार और उसकी बीवी का बुरा हाल था। मासूम लड़की कुएँ में डूब मरना चाहती थी कि किसी ने अचानक उसका दरवाज़ा खटखटाया। यह कौन है? औरंगज़ेब आलमगीर (रह०), जिसे देखते ही कुम्हार की आँखों में ख़ुशी के आँसू तैरने लगे। वह बेक़ाबू होकर आलमगीर के क़दमों में गिर पड़ा। उठा और अन्दर जाकर बीवी को सूचना दी कि जहाँपनाह वादे के मुताबिक़ तशरीफ़ ले आए हैं। बीवी हाथ बाँधकर खड़ी हो गई। मियाँ-बीवी जहाँपनाह को मकान के अन्दर ले गए। दिल्ली के शहंशाह (राजाधिराज) ने कुम्हार की कच्ची कोठरी में प्रवेश किया और कुम्हार की बच्ची के सिर पर हाथ रखा और वहीं यह साधु आलमगीर बैठ गया। उन्होंने कुम्हार को हिदायत कर दी कि मेरे आने की ख़बर किसी को न मिले।

कुछ देर बाद बड़े ठाटबाट के साथ उस फ़िरऔन का जुलूस भी आ गया। कुम्हार ने आगे बढ़कर स्वागत किया। दुष्ट ने आते ही पूछा, "तुम्हारी लड़की कहाँ हैं?" कुम्हार ने जवाब दिया, "आइए हुज़ूर! अन्दर तशरीफ़ ले आइए।" उस दुष्ट ने ज्यों ही अन्दर क़दम रखा तो प्रतापवान बादशाह को हाथ में तलवार ताने हुए मौजूद पाया। यह देखते ही उसके होश उड़ गए।

दूल्हा बनकर आए थे, क़ैदी बनकर लाहौर पहुँच गए।

इस ऐतिहासिक घटना पर ब्रिटिश काल का इतिहास चुप है। अगर इस ज़माने में इतिहासकार ने घटना को कहीं दर्ज किया होगा तो स्वार्थी लोगों के सफ़ेद हाथों ने बाद में इस सुनहरे पृष्ठ ही को नोच डाला होगा। भारत का इतिहास ब्रिटिश एजेंटों ने अपने ढब की लिखवाई। मुसलमान बादशाहों की न्यायप्रियता, मैत्री-भाव और प्रजा-पालन के क़िस्सों पर परदा डालने की कोशिश की। कुछ याद रहा या लिखना चाहा तो सिर्फ़ यह कि आलमगीर हिन्दूकुश था, ज़ालिम था, सितमगर था!

आलमगीर (रह०) ने हिन्दू कुम्हार से जो वादा किया था, उसे पूरा किया। अब शहंशाह के आने की चर्चा आम थी। कुआँ आबादी से दूर था। उसी जगह आलमगीर (रह०) के नाम पर गाँव आबाद हुआ। आलमगीर नाम का गाँव अब भी मौजूद है। सारी आबादी सिखों की है। मगर ब्रिटिश सत्ता ने भारत की ग़ुलामी के धार्मिक काल में पक्षपात की ऐसी आँधी चलाई कि हिन्दू, सिख और मुसलमान ने आज तक एक-दूसरे को माफ़ नहीं किया। इस स्थिति में बुज़ुर्गों के अच्छे कारनामों को किस तरह स्वीकार किया जाए। कहा जाएगा कि इतिहास में इस घटना का कहीं उल्लेख नहीं, यह मन गढ़ंत कहानी है। हमारे लिए कठिनाई यह है कि हम उन नेकदिल हिन्दुओं की राख किस मरघट से लाएँ, जिन्हें इस दुनिया से गए सदियाँ गुज़र गईं, जिनकी सन्तान भी मर-खप गई। अगर कोई ज़िन्दा भी होंगे तो हिन्दू-मुस्लिम घृणा के इस दौर में उन्हें कैसे हिम्मत होगी कि वे मुसलमान बादशाहों की नेकियाँ गिनवाएँ। मगर सच्चाई यह है कि औरंगज़ेब आलमगीर (रह०) एक दुरवेश इनसान, न्यायप्रिय, धार्मिक व जातीय संकीर्णता से दूर और बड़ा ही साहसी मुस्लिम बादशाह था।

आज भी गाँव आलमगीर उस न्यायप्रिय मुस्लिम शासक की न्यायप्रियता की गवाही के रूप में लुधियाना से कुछ मील दूर पर मौजूद है। वहाँ जाकर कोई भी फ़ैसले की पुष्टि कर सकता है। □ □

(सहरोज़ा 'दावत' अक्टूबर 1967 से साभार)

क़ाज़ी और बाप

उन्दुलुस की गद्दी पर बैठने से पहले मुहम्मद बिन आमिर बहुत दिनों तक क़र्तबा का गवर्नर रहा। यह पद सँभालते ही उसने प्रबंध-व्यवस्था में सुधार की ओर ध्यान दिया और देश को हर प्रकार के भ्रष्टाचारों से पाक करने का बीड़ा उठाया।

मुहम्मद बिन आमिर ने पहला काम यह किया कि न्याय और इनसाफ़ के मामले में अमीर व ग़रीब के बीच भेदभाव ख़त्म कर दिया। बिना किसी पक्षपात और भेदभाव के हर व्यक्ति के साथ पूरा-पूरा इनसाफ़ किया जाता।

इसका परिणाम यह हुआ कि पूरे देश में सुख-शान्ति और न्याय का बोलबाला हो गया और अपराध ख़त्म हो गए। लोगों के दिल में शिक्षाप्रद और भयावह दण्ड का ख़ौफ इस तरह बैठ गया कि वे कभी भी क़ानून तोड़ने की हिम्मत न करते।

एक दिन इब्ने आमिर अदालत में मुक़दमों की सुनवाई कर रहा था। उसी समय एक व्यक्ति उसकी सेवा में हाज़िर हुआ और शिकायत की कि उसके एक लड़के ने, जिसे वह बेहद प्यार करता था, किसी साधारण-सी बात पर उसके लड़के को बेंत से मारा है।

यह सुनते ही इब्ने आमिर ने सिपाहियों को आदेश दिया कि वे उसके लड़के को पकड़कर अदालत में पेश करें।

कुछ देर बाद सिपाही लड़के को अदालत में ले आए। इब्ने आमिर के पूछने पर उसने अपना जुर्म क़बूल कर लिया।

इब्ने आमिर ने हुक्म दिया कि इस लड़के को भी बेंत मारे जाएँ और सज़ा को फ़ौरन पूरा किया जाए। इसके साथ ही उसने बेंत मारनेवाले को यह आदेश भी दिया कि बेंत मारने में किसी तरह की नर्मी या रिआयत न की जाए, बल्कि ख़ूब ज़ोर से बेंत मारे जाएँ, ताकि लड़का भविष्य में अपने बाप के पद के घमण्ड में क़ानून तोड़ने की हिम्मत न करे और दूसरे लोगों

को भी इससे सबक़ मिले।

गवर्नर के आदेश के अनुसार उसके लड़के को भरे दरबार में सज़ा दी गई। सज़ा पूरी भी न हुई थी कि लड़के की हालत बिगड़ने लगी। वह ज़ख्मों से निढ़ाल हो गया; लेकिन इब्ने आमिर ने किसी भी प्रकार की नर्मी और रिआयत की अनुमति न दी। नतीजा यह हुआ कि लड़का अपने बाप के सामने बेंत खाता हुआ अल्लाह को प्यारा हो गया।

इब्ने आमिर के माथे पर बल तक नहीं पड़े और यह हुक्म दे दिया कि लाश उनके घर पहुँचा दी जाए और वह अपने काम में व्यस्त हो गया।

मुक़द्दमे की सुनवाई पूरी करके इब्ने आमिर घर गया तो अपने लाड़ले की लाश से लिपटकर देर तक रोता रहा।

यह रोना-धोना देखकर इब्ने आमिर की बीवी ने उनसे कहा, "बच्चा तुम्हारी सज़ा ही के कारण ख़ुदा को प्यारा हुआ है और अब ख़ुद ही उसका मातम कर रहे हो?"

इब्ने आमिर ने इसका सिर्फ़ इतना ही जवाब दिया, "मैं पहले क़ाज़ी (न्यायधीश) हूँ और बाप बाद में। क़ाज़ी की हैसियत से मैंने न्याय किया। अब बाप की हैसियत से बच्चे का मातम कर रहा हूँ।" □ □

मदद की पुकार

सुल्तान सलाहुद्दीन की फ़ौज ईसाई फ़ौज से टक्कर ले रही है। दुश्मनों के जवान, बूढ़े, औरत, मर्द सभी जंग के मैदान में निकल पड़े हैं और जंग जारी है। उधर मुसलमानों की फ़ौज के ख़ेमें लग हुए हैं ओर ये लोग पूरी बहादुरी के साथ दुश्मनों का मुक़ाबला कर रहे हैं।

इस जंग की एक रात की घटना है, जबकि चारों तरफ़ सन्नाटा छा चुका था और सलाहुद्दीन और उसके सारे साथी सो चुके थे। उसी समय अचानक एक औरत ईसाइयों के ख़ेमे से चीख़ती-चिल्लाती हुई फ़ौजों और पहरेदारों के बीच से गुज़रती हुई मुसलमानों के ख़ेमे तक पहुँची। यहाँ उसको फ़ौज के अफ़सर ने रोक लिया और पूछा, "कहाँ जा रही हो?"

उसने पूरी ताक़त के साथ जवाब दिया, "सलाहुद्दीन को तलाश करती हूँ, सलाहुद्दीन को!"

औरत को सलाहुद्दीन के पास पहुँचाया गया। सुल्तान सलाहुद्दीन उस समय सो रहा था। लोगों ने उसे जगाया और कहा कि एक मज़लूम औरत आपसे कुछ कहने आई है। उस समय इस्लामी लश्कर के सभी बड़े-बड़े सरदार सो रहे थे। सलाहुद्दीन ने उन सबको जगा दिया और औरत से निहायत दयालुता और नर्मी के साथ पूछा, "क्या बात है?"

औरत रोने लगी और फिर चीख़कर बोली—

"ऐ बादशाह! आपकी फ़ौज से मुझको सख़्त शिकायत है।"

सलाहुद्दीन के चेहरे का रंग उड़ गया पूछने लगा—

"मेरी फ़ौज ने क्या किया है?"

औरत ने जवाब दिया, "कल आपके उन सिपाहियों ने मेरे शौहर (लवेश) को गिरफ़्तार कर लिया तो मैंने कहा कि चलो ख़ुदा की राह में पकड़ा गया। लेकिन आज रात को अभी कुछ घण्टे पहले आपकी फ़ौज के कुछ डाकू मेरे प्यारे बच्चे को उड़ा ले गए। यह बच्चा मेरी तसल्ली का

सामान था और अपने बाप की गिरफ़्तारी के बाद मेरा सब कुछ वही था। इस वक़्त मैं आपसे सिर्फ़ अपने प्यारे बच्चे को चाहती हूँ, वरना आप याद रखिए कि इस फ़ौज की सारी हरकतों और कामों के ज़िम्मेदार आप ही हैं।" और फिर जोश में आकर कहने लगी, "ऐ काफ़िरो ! मैं अपने बच्चे को तुमसे माँग रही हूँ, अपने बच्चे को।"

औरत का मिज़ाज देखकर और उसकी बातें सुनकर सलाहुद्दीन ख़ामोश हो गया और फ़ौज को आदेश दिया कि इसी वक़्त लश्कर, छावनियों और उसके क़रीब की जगहों से इस औरत के बच्चे को तलाश करके ले आएँ।

थोड़ी ही देर फ़ौजवाले कुछ अजनबी डाकुओं को पकड़ लाए, जो बच्चे को ले गए थे। औरत बच्चे को देखते हुए उछल पड़ी और उसको अपने सीने से लगा लिया, चेहरा चूमने लगी और प्यार के गर्म-गर्म आँसू उसकी आँखों से निकलकर बच्चे के चेहरे पर गिरने लगे।

अब औरत को सुकून हासिल हो चुका था, सलाहुद्दीन की ओर मुख़ातब होकर शुक्रिया अदा करने लगी। लेकिन सलाहुद्दीन ने थोड़ी देर के लिए उससे मुहलत चाही, फिर उसके क़ैदी शौहर को बुलाकर उसी वक़्त उसको रिहा कर दिया और कहा, "जाओ, अपने सरदारों से हमारे बारे में कह दो कि हम लोग ज़ालिम और सरकश नहीं, बल्कि हम रहम करते हैं। हम लड़ाई करने और तबाही फैलाने के लिए नहीं पैदा किए गए हैं, बल्कि हमारा मक़सद अमन और सलामती क़ायम करना है। हमारा दीन सहयोग करना सिखाता है, दिलों को आपस में मिलाता है, भाइयों के बीच फूट पैदा नहीं करता और न उनके दिलों में द्वेष व दुश्मनी का बीज डालता है। जाओ, अपने उन बड़े सरदारों से कह दो कि हम इसी अख़लाक़ की बदौलत कामयाब होंगे और यही दीन हमारी विजय का प्रमुख कारण है।"

सलाहुद्दीन यह कहकर उठनेवाला ही था कि ये दोनों मियाँ-बीवी पूरे जोशो ख़रोश (उमंग) के साथ यह नारा बुलंद करने लगे कि तुम्हारे यहाँ दयालुता और न्याय है और हमारे पास कठोर हृदय और अत्याचार है। इसके बाद उन्होंने कहा कि हमें भी आप इस रहमत और इनसाफ़ की फ़ौज

में शामिल कर लीजिए।

सलाहुद्दीन ने कहा :

"**ला इला-ह इल्लल्लाह, मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह** (कोई नहीं है माबूद सिवा अल्लाह के, मुहम्मद सल्ल० अल्लाह के रसूल हैं) कहो और इस कलिमे पर अपने दिल से ईमान लाओ।" दोनों ने '**ला इला-ह इल्लल्लाह, मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह**' कहा, और अब दोनों मियाँ-बीवी मुसलमानों की छावनी में अपने ख़ेमे की ओर जा रहे थे। 'ला इला-ह इल्लल्लाह, मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह' बराबर उनकी ज़बान पर जारी था और फ़िज़ा मुसलमानों के नारे तकबीर से गूंज रही थी। □ □

अगर इनसाफ़ न करते ?

एक दिन बादशाह ग़यासुद्दीन तीरअंदाज़ी का अभ्यास कर रहे थे। अचानक एक तीर एक बच्चे को जा लगा। तीर लगते ही वह मर गया। बच्चे की माँ ने दिल्ली के क़ाज़ी सिराजुद्दीन की अदालत में मुक़द्दमा दायर कर दिया। क़ाज़ी ने बादशाह को अदालत में हाज़िर होने का आदेश दिया। बादशाह अदालत में हाज़िर हुआ और मुद्दई के बराबर खड़ा हो गया।

मुक़दमा शुरू होने पर बादशाह ने जुर्म क़बूल कर लिया। जुर्म क़बूल कर लेने के बाद क़ाज़ी ने फ़ैसला सुनाया कि बादशाह ख़ून का बदला देकर बच्चे की माँ को राज़ी कर ले। वरना ख़ून के बदले उसे फाँसी दी जाए।

इस फ़ैसले के बाद बादशाह ने बहुत-सी धन-राशि देकर बच्चे की माँ को राज़ी कर लिया। क़ाज़ी के सामने बच्चे की माँ रक़म वुसूल करके वापस चली गई। इस फ़ैसले से बादशाह ग़यासुद्दीन क़ाज़ी से बहुत ख़ुश हुआ। उसने बढ़कर उसे गले से लगा लिया। फिर बोला, "अगर आप फ़ैसला न्याय के ख़िलाफ़ करते और मेरी रिआयत करके फ़ैसला कुछ से कुछ करते तो मैं आपको क़त्ल कर देता। आपने इस्लामी क़ानून की लाज रख ली।" □ □